न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 23 / 2021

अपीलांट्स –

लुम्बाराम पुत्र करनाराम जाति जाट
निवासी भादूओं की ढाणी, माडपुरा
बरवाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. धन्नाराम पुत्र गोपाराम
2. नारणाराम पुत्र उम्मेदाराम
3. मूली पत्नि उम्मेदाराम
4. किशनाराम पुत्र पूनमाराम
5. नवलाराम पुत्र पूनमाराम
6. पारूदेवी पत्नि पूनमाराम
7. विशनाराम पुत्र रामजीवन
8. गवरी पत्नि रामजीवन
9. अशोक कुमार पुत्र रामजीवन
10. घमण्डाराम पुत्र गिरधारीराम
11. खेमाराम पुत्र आईदानराम
12. ओमप्रकाश पुत्र पदमाराम
13. चन्द्रप्रकाश पुत्र पदमाराम
14. दल्लूदेवी पत्नि पदमाराम
15. हडूमानराम पुत्र परागाराम
16. ठाकराराम पुत्र परागाराम
17. लालाराम पुत्र परागाराम
18. जमना पत्नि परागाराम
19. भोमाराम पुत्र करनाराम जाति जाट
    निवासी आलाणियों की ढाणी, बादरा
    तहसील व जिला बाड़मेर
20. तहसीलदार बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 2985–86 दिनांक 27.09.2007 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार [illegible] पारित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:39 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री बांकाराम चौधरी, [illegible] उपस्थित।
2. श्री भोमाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1से6, 11से17 की [illegible] उपस्थित।
3. श्री हरीराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. [illegible] 7, 10, 19 की ओर [illegible]स्थित।
4. अवशेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।
5. रेस्पोडेंट संख्या 20 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 17.03.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 2985–86 दिनांक 27.09.2007 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा आलाणियों की ढाणी के खेत खसरा नंबर 570, 571 रकबा 0–11 बीघा, मौजा चन्दोणियों की ढाणी के खेत खसरा नंबर 521 रकबा 126–05 बीघा एवं मोजा सरका पार के खेत खसरा नंबर 874 / 648 रकबा 29–10 बीघा पटवार क्षेत्र बान्दारा तहसील बाड़मेर व मौजा भादुओं की ढाणी के खेत खसरा नंबर 11 रकबा 1–05 बीघा, खसरा नंबर 78 रकबा 41–18 बीघा, खसरा नंबर 82 रकबा 48–14 बीघा पटवार क्षेत्र माडपुरा बरवाला तहसील बायतु भूमि के खातेदारान नारणाराम पुत्र अमेदाराम, मूली देवी पत्नि अमेदाराम, नारणाराम की नाबालिग वलिया, पारू बेवा पुनमा, किशनाराम नवलाराम पि0 पुनमा, मु0 पारू बेवा पुनमा, पुनमा धना वल्द गोपा, पदमाराम हनुमान, ठाकराराम लालाराम पि0 प्रागाराम, जमना बेवा प्रागाराम, लुम्बाराम भोमाराम पि0 करनाराम, खेमा वल्द आईदान, रामजी घंमडा पि0 गिरधारी कौम जाट सा0 देह जिला बाड़मेर खातेदारान ने दिनांक 05.07.2007 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन करने निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत बान्दरा द्वारा की गई एवं हल्का पटवारी बान्दरा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अधीनाधीन आदेश क्रमांक 2985–86 दिनांक 27.09.2007 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.03.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:39 IST
Reason: SelfAttested

3. अपीलांट की अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 1से 19 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि दो तहसील बायतु व बाड़मेर मे स्थित है। जिसमें पैतृक खातेदारी के मौजा आलाणियों की ढाणी के खेत खसरा नंबर 570, 571 रकबा 52–12 बीघा, मौजा चन्दोणियों की ढाणी के खेत खसरा नंबर 521 रकबा 126–05 बीघा एवं मोजा सरका पार के खेत खसरा नंबर 874 / 648 रकबा 29–10 बीघा पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील बाड़मेर एवं मौजा भादुओं की ढाणी के खेत खसरा नंबर 11, 78, 82 कुल रकबा 91–17 बीघा भूमि आयी हुई है। उतरदाता संख्या 1 से 19 व उनके पूर्वजों ने अपीलांट्स को वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त एवं पूर्व में किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजन करने इसके साथ ही पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा। जिस पर अपीलांट ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाने की सहमति दी। जिस पर पटवारी हल्का ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया गया। अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 से 19 ने विभाजन प्रस्ताव, नक्शे व जमाबंदी पर हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान संलग्न नक्शे के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने हेतु विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया। उतरदाता संख्या 01 से 19 ने हल्का पटवारी को प्रभावित कर इस विभाजन हेतु तैयार दस्तावेजात को बदलते हुए पक्षकारान द्वारा नक्शे पर किये गये हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान पर हल्का पटवारी ने नक्शा तैयार कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपील[illegible] एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत [illegible] कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने यो[illegible] की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:39 IST
Reason: SelfAttested

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि कुछ अर्सा पूर्व जब अपीलांट दोनों तहसीलों की भूमि पर अपने विधिक हक हिस्से के अनुसार काश्त करता रहा परन्तु वर्तमान में उतरदातागण द्वारा अपीलांट को तहसील बायतु की भूमि में हिस्सा नहीं देते हुए मात्र 10–16 बीघा भूमि तहसील बाड़मेर की भूमि मे देते हुए विभाजन करवाने बाबत बताया तथा तहसील बाड़मेर की भूमि से अपीलांट का नाम विलोपित कर दिया गया। वर्तमान में अपीलांट तहसील बाड़मेर की भूमि मे काश्त करने हेतु सुड आदि करने लगा जिस पर उतरदातागण ने अपीलांट को उनके कब्जा काश्त व बाहामी बंटवाडा से बेदखल करने की धमकी दी। जिससे अपीलांट को अपना हक हिस्सा संशयप्रद लगा तथा अपीलाधीन आदेश की नकल मांगने पर ही उक्त विभाजन आदेश की जानकारी दिनांक 08.06.2021 को हुई। इस प्रकार प्रथम जानकारी होने की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र संलग्न कर अपील अन्दर मयाद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया।

6. रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 6, 11 से 17 के अधिवक्ता द्वारा में प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स ने दिनांक 05.07.2007 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होकर संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा आलाणियों की ढाणी के खेत खसरा नंबर 570, 571 रकबा 52–12 बीघा, मौजा चन्दोणियों की ढाणी के खेत खसरा नंबर 521 रकबा 126–05 बीघा एवं मोजा सरका पार के खेत खसरा नंबर 874/648 रकबा 29–10 बीघा पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील बाड़मेर एवं मौजा भादुओं की ढाणी के खेत खसरा नंबर 11, 78, 82 कुल रकबा 91–17 बीघा भूमि का सहमति विभाजन हेतु इकरारनामा प्रस्तुत किया। हलका पटवारी द्वारा विभाजन इकरार की ताईद करते हुए कब्जा एवं रेकर्ड अनुसार विभाजन होना पुष्टि किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान के [illegible] के आधार पर विभाजन इकरारनामा स्वीकृत करते हुए राजस्व [illegible] पटवारी को अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। अपीलांट द्वारा [illegible] अपील करीब 14 साल बाद प्रस्तुत की है तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 02.02.2021 को होने का तथ्य अभिलेखीय तौर पर गलत एवं मनगढत अंकित किया है। इस आधार पर अपीलांट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:39 IST
Reason: SelfAttested

यह अपील मयाद बाहर होने के साथ ही सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील गुणावगुण पर कमजोर होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

7. रेस्पोडेंट्स संख्या 7, 10, 19 के अधिवक्ता की ओर से लिखित जबाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील की ताईद करते हुए प्रकट किया कि पक्षकारान के मध्य विभाजन कब्जे–काश्त अनुसार नहीं होने से अपीलांट्स की उक्त अपील स्वीकार योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट्स को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उजर ऐतराज नहीं है।

8. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं उपलब्ध अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाधीन विभाजन पत्र के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा आलाणियों की ढाणी के खेत खसरा नंबर 570, 571 रकबा 0–11 बीघा, मौजा चन्दोणियों की ढाणी के खेत खसरा नंबर 521 रकबा 126–05 बीघा एवं मोजा सरका पार के खेत खसरा नंबर 874 / 648 रकबा 29–10 बीघा पटवार क्षेत्र बान्दारा तहसील बाड़मेर व मौजा भादुओं की ढाणी के खेत खसरा नंबर 11 रकबा 1–05 बीघा, खसरा नंबर 78 रकबा 41–18 बीघा, खसरा नंबर 82 रकबा 48–14 बीघा पटवार क्षेत्र माडपुरा बरवाला तहसील बायतु भूमि के खातेदारान नारणाराम पुत्र अमेदाराम, मूली देवी पत्नि अमेदाराम, नारणाराम की नाबालिग वलिया, पारू बेवा पुनमा, किशनाराम नवलाराम पि0 पुनमा, मु0 पारू बेवा पुनमा, पुनमा धना वल्द गोपा, पदमाराम हनुमान, ठाकराराम लालाराम पि0 प्रागाराम, जमना बेवा प्रागाराम, लुम्बाराम भोमाराम पि0 करनाराम, खेमा वल्द आईदान, रामजी घंमडा पि0 गिरधारी कौम जाट सा0 देह जिला बाड़मेर खातेदारान ने दिनांक 05.07.2007 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन करने निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत बान्दरा द्वारा की गई एवं हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शे के अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:39 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2985–86 दिनांक 27.09.2007 पारित किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का अभिकथन है कि संयुक्त खातेदारी के प्रत्येक खसरे में हिस्सा अनुसार अपीलांट को भूमि विभाजन में नहीं दी गई है। इस संबंध में तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका कब्जा रिपोर्ट के संलग्न हल्का पटवारी माडपुरा बरवाला द्वारा एक ही दिन में दो अनुसार ग्राम भादुओं की ढाणी के खसरा नंबर 78 में 10–16 बीघा पर अपीलांट लुम्बाराम का कब्जा–काश्त है घर व टांका नहीं बना है। इसी प्रकार अन्य मौका फर्द में हल्का पटवारी द्वारा अंकित किया हैं कि '':ग्राम भादुओं की ढाणी प्रार्थी लुम्भाराम के घर गया। प्रार्थी ने बताया कि सहमति बंटवाड़ा 2008 में किया गया, उस समय यह बताया कि लूम्बाराम पुत्र करनाराम को पटवार हल्का माडपुरा बरवाला में इसको पूरी जमीन दी जायेगी। लेकिन ग्राम भादुओं की ढाणी नामान्तरकरण सं. 68 दिनांक 29.01. 2016 में सहमति बंटवाड़ा में लुम्भाराम पुत्र करनाराम नवीन खसरा 78 में 10–16 बीघा भूमि दी गई व इसके सगे भाई भोमाराम पुत्र करनाराम 165 / 78 में 10–16 व 169 / 82 में 24–07 बीघा भूमि दी गई। जबकि खसरा 82 भूमि के बदले ग्राम भांभुओं की ढाणी खसरा सं. 277 में 24–07 बीघा देंगे। लेकिन आदिनांक तक इनको 24–07 बीघा भूमि का विभाजन नहीं किया गया । खसरा सं. 277 मूल रकबा 13.7257 है यानि 84–17 बीघा हैं इसमें लुम्बाराम पुत्र करनाराम का हिस्सा 24–07 बीघा होनी चाहिए। जबकि गोपाराम के परिवार के जगह लुम्भाराम पुत्र करनाराम देने का सहमति हुई थी लेकिन आदिनांक तक भूमि का बेचान नहीं करवाया गया । इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा इस द्वितीय मौका फर्द में मौके की वस्तुस्थिति के बजाय पक्षकारान के आपसी सहमति के सम्बन्ध में कयासी तथ्य अंकित किये है जो कि मौका की वस्तुस्थिति से इतर उल्लेखित किया जाना प्रकट होता हैं। इस अपील में विवादित किसी भी खसरे में रेकर्ड से प्रतिकूल कब्जा होने का उल्लेख नहीं किया गया हैं। ऐसे में प्रथम तो सहमति विभाजन से अपीलांट्स एस्टोप्ड है तदुपरांत भी वर्ष 2008 में हुए विभाजन के विरूद्ध करीब 14 वर्ष बाद यह अपील प्रस्तुत की है, जिसके विलम्ब के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्यात्मक एवं संतुष्टीपरक कारण प्रकट [illegible] हैं। ऐसे में हस्तगत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर [illegible] मियाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:39 IST
Reason: SelfAttested

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:39 IST
Reason: SelfAttested